

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 1982/माघ 23, 1903
No. 49] NEW DELHI, FRIDAY FEBRUARY 12, 1982/MAGHA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
*Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1982

क्रा. आ. 74(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रिय/कलाप (निवारण)
अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, मुख्य सचिव, मिजोरम सरकार को, उक्त अधिनियम के अधीन
दण्डनीय सभी अपराधों की जांच अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति का
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. 13/6/82 एन.ई. 1(1)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th February, 1982

S.O. 74(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby authorises the Chief Secretary, Government of Mizoram to exercise the power to sanction prosecution in respect of all offences punishable under the said Act.

[No. 13/6/82-NE. I(D)]

का. मा. 74(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देती है कि उन सभी शक्तियों का, जिनका प्रयोग केन्द्रीय सरकार के उक्त अधिनियम की धारा 7 और 8 के अधीन कर सकती है, प्रयोग मिजोरम सरकार भी करेगी।

[सं. 13/6/82-एन. ई. 1(2)]

एम. एल. कम्पानी, अवर सचिव

S.O. 75(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that all the powers which may be exercised by it under section 7 and section 8 of the said Act, shall be exercise also by the Government of Mizoram.

[No. 13/6/82-NE. I(II)]

M. L. KAMPANI, Addl. Secy.